

# इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर (म.प्र.) 453 771 Chanda Talawali, Manglia, Indore (M.P.) 453 771

## :: अभिरूचि की अभिव्यक्ति ::

### दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु आवेदन (6<sup>th</sup> Call) आमंत्रण

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लघु डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में साँची पैकड दूध के वितरक कार्य हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट **www.sanchidairy.com** से प्राप्त कर सकते हैं। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :-

| स. क्रं. | विवरण                                                | कार्यवाही विवरण                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय    | दिनांक <b>07.08.2024</b> को <b>www.sanchidairy.com</b> समय दोपहर 1:00 बजे से।             |
| 2        | आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय | दिनांक <b>28.08.2024</b> समय दोपहर 1:00 बजे तक, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर। |
| 3        | आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक <b>29.08.2024</b> एवं समय दोपहर 2:00 बजे से।                                       |
| 4        | ई.एम.डी. राशि                                        | ई.एम.डी. राशि <b>1,00,000/-</b> (अक्षरी रूपये एक लाख सिर्फ)                               |

अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट **www.sanchidairy.com** पर देखा जा सकता है एवं आवेदन प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रु. **500/-** का भुगतान कर वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर **Online** आवेदन दिनांक **28-08-2024** तक जमा किया जा सकता है। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक स्थान के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी प्रक्रिया द्वारा वितरक कार्य हेतु चयन किया जाएगा तथा किसी भी एक अथवा समस्त आवेदनों को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

वितरक की अनुबन्ध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबन्ध अवधि एक-एक वर्ष निरन्तर अनुबन्ध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल ऊपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट **www.sanchidairy.com** पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

# इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु मिनि  
डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध कल्याणपुरा,  
रायपुरिया, पेटलावद क्षेत्रों में वितरक की  
नियुक्ति हेतु छठवां आवेदन प्रपत्र  
वर्ष 2024–2027



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email – [sanchi13a@gmail.com](mailto:sanchi13a@gmail.com)

# इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागलिया, इन्दौर

८२ साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु वितरक नियुक्ति हेतु छठवां आवेदन प्रपत्र १०

|      |                                                           |   |                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक                      | — | 07.08.2024 दोपहर 1:00 बजे से।                                           |
| (2)  | आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन रूप से जमा करने की अन्तिम तिथि व समय | — | 28.08.2024 दोपहर 1:00 बजे तक।<br>इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर |
| (3)  | आवेदन के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि               | — | रु. 1,00,000 /—<br>(अक्षरी रूपये एक लाख मात्र)                          |
| (4)  | आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि व समय        | — | इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,<br>29.08.2024 दोपहर 2:00 बजे से।      |
| (5)  | वितरक की सामान्य तकनीकी अर्हताएँ                          | — | प्रपत्र 01                                                              |
| (6)  | वितरक की सामान्य शर्तें                                   | — | प्रपत्र 02                                                              |
| (7)  | आवेदनकर्ता की सामान्य जानकारी                             | — | प्रपत्र 03                                                              |
| (8)  | विपणन मार्ग की जानकारी                                    | — | प्रपत्र 04                                                              |
| (9)  | शपथ पत्र का प्रारूप                                       | — | प्रपत्र 05                                                              |
| (10) | अनुबंध प्रारूप                                            | — | प्रपत्र 06                                                              |

-X-

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.  
इन्दौर

विषय :- साँची दूध विक्रय हेतु मिनी डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध विपणन क्षेत्रों में वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

साँची दूध विक्रय हेतु दिनांक ..... को ..... समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ, कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरा आवेदन स्वीकृत किया जाता है, तो मैं आपके द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

| क्रं. | आवश्यक दस्तावेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    | यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.    | संस्था/फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.    | निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.    | पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.    | निविदाकर्ता के पास दुग्ध व्यवसाय हेतु अपने स्वयं के खाद्य एवं सुरक्षा के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। जिसकी प्रति संलग्न करें।                                                                                                                                                                            |
| 7.    | इन्कम टैक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तीन वर्षों की <b>ITR</b> की पावती प्रस्तुत करना होगी।                                                                                                                                                                                                    |
| 8.    | वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तीनों वर्षों का कुल रु. <b>5.00 करोड़</b> का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र जिसमें <b>UDIN</b> नं. एवं व्यवसाय का प्रकार वर्णित हो प्रस्तुत करना होगा। <b>FMCG</b> व्यवसायी ही पात्र होंगे। |
| 9.    | आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से कराना अनिवार्य है।                                                                                                                                                                                                  |
| 10.   | आवेदनकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.   | आवेदनकर्ता को किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया हो यह कथन रु. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।                                                                                                                                                 |
| 12.   | यदि कार्यरत वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो मिनी डेयरी संयंत्र झाबुआ से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी।                                                                                                                                                                                                                  |
| 13.   | दूध व्यवसाय का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.   | आवेदनकर्ता द्वारा ई.एम.डी. राशि दुग्ध संघ के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा करना होगी। जिसकी एम. आर. की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगी अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।                                                                                                                   |
|       | <b>कुल</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

हस्ताक्षर — — — — —

नाम — — — — —

पता — — — — —

दूरभाष/मोबाईल नम्बर — — — — —

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

**साँची दूध विक्रय हेतु वितरक नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें**

- 1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज निर्धारित समयावधि में दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 2) आवेदक को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के बैंक खाता क्रमांक 23478912139 IFSC Code No. IDFB0041269 आय.डी.एस.सी. फर्स्ट बैंक, शाखा-विजय नगर, इन्दौर में आर.टी.जी.एस के माध्यम से राशि **रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र)** अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 3) सफल आवेदनकर्ता की नियुक्ति पश्चात् संघ में प्रतिभूति राशि पेटे **रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र)** आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। दूध विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति **रुपये 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख मात्र)** होगी।
- 4) असफल आवेदनकर्ता की ई.एम.डी. राशि नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 5) **चयन प्रक्रिया :-** दूध वितरक कार्य हेतु किसी भी स्थान पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन सम्बन्धी दस्तावेजों का (आवश्यक अर्हताएँ) परीक्षणोपरान्त सफल पाये जाने पर कार्य आवंटित किया जाएगा तथा किसी भी स्थान में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक अर्हताओं के परीक्षण उपरान्त पात्र आवेदनकर्ताओं का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
- 6) वितरक के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-
  - A) वितरक को मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध कल्याणपुरा, बामनिया, पेटलावद विपणन क्षेत्रों में संचालित साँची पार्लर एवं एजेंसियों की मांग की पूर्ति करना होगी।
  - B) वितरक को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें उसी दिन वाहन चालक को देना होगी। अन्यथा बकाया खाली क्रेटों की राशि का वर्तमान क्रेट क्रय भाव के आधार पर कटोत्रा किया जावेगा।
  - C) वितरक को साँची दूध की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई-मेल द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र को देना होगी। माँग अनुसार अग्रिम राशि भी दुग्ध संघ के खाते में एडवांस जमा कराना अनिवार्य होगा, **अन्यथा दूध प्रदाय नहीं किया जाएगा।**
  - D) वितरक द्वारा दूध विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दूध प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दूध प्रदाय बाधित होता है तो वितरक की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
  - E) वितरक को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट-पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
  - F) सफल आवेदनकर्ता को स्वयं के क्षेत्रों में साँची दूध विक्रय हेतु रिटेलर नियुक्ति करने के लिए मिनि डेयरी संयंत्र, झाबुआ के माध्यम से महाप्रबंधक (विपणन) को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  - G) वितरक को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित मार्जिन विक्रेताओं को देना होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर वितरक को मान्य करना होगा।

- 7) वितरक अपकन्द्री क्षेत्रों में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना अनिवार्य होगी।
- 8) वितरक को दूध प्राप्त करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी वितरक की रहेगी।
- 9) वितरक को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध विक्रय हेतु कल्याणपुरा, बामनिया, पेटलावद विपणन क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 10) वितरक को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक दूध का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
- 11) वितरक द्वारा प्रतिदिन मांग अनुसार दूध मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में राशि ऑनलाईन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दूध प्रदाय नहीं किया जायेगा।
- 12) आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 13) वितरक को प्रत्येक पार्लर/एजेंसियों पर जाकर दूध उपलब्ध करना होगा।
- 14) वितरक को प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से साँची दूध की मांग प्रस्तुत करना होगा।
- 15) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 16) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- 17) प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। दुग्ध संयंत्र डाक से दूध की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए दूध की मूल्य राशि का 100 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- 18) यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
- 19) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध कल्याणपुरा, बामनिया, पेटलावद विपणन क्षेत्रों में संचालित समस्त साँची पार्लर/एजेंसियों के लिये दूध विक्रय के लक्ष्य वार्षिक योजना एवं त्यौहारों के आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीयपक्ष को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथमपक्ष द्वारा की जाएगी, जिस हेतु द्वितीयपक्ष जवाबदेह होगा। प्रतिवर्ष दुग्ध विक्रय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
- 20) आवेदनकर्ता की ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

- 21) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता (**Arbitrator**) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (**Arbitrator**) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 22) आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात आवेदनकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो 01 माह पूर्व नोटिस देकर वितरक कार्य से पृथक किया जावेगा।
- 23) यह कि द्वितीयपक्ष/वितरक द्वारा प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ के पास वितरकशीप कार्य प्रारंभ करने के समय एवं कार्य अवधि के मध्य जो नगद प्रतिभूति राशि एवं बैंक ग्यारंटियाँ जमा कराई गई है, में वित्तीय व्यवहार (दूध में वृद्धि, विक्रय मात्रा में वृद्धि, नवीन क्षेत्र जोड़े जाने की स्थिति में वृद्धि आदि) अनुसार यदि दुग्ध संघ यह महसूस करें कि तत्काल समय में प्रतिभूति राशि में वृद्धि करना आवश्यक है, तो द्वितीयपक्ष/वितरक को प्रतिभूति राशि/अथवा बैंक ग्यारंटी के रूप में वृद्धि करना आवश्यक होगा।
- 24) यह कि दुग्ध संघ के संशोधित व्यापार नीति अनुसार क्षेत्र में दैनिक विक्रय हो रही दूध की राशि के बराबर न्यूनतम 03 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप सदैव प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ के कार्यालय में जमा रहेगी। जिसमें वृद्धि करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ को रहेगा।
- 25) यह कि प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वितरक को प्रतिदिन उनकी मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय करेगा, जिसे द्वितीयपक्ष/वितरक द्वारा केवल आवंटित क्षेत्र में ही विक्रय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। आवंटित क्षेत्र के बाहर अन्य वितरक के क्षेत्र में प्रदाय/विक्रय करने पर तत्काल प्रभाव से वितरकशीप समाप्त कर दी जावेगी। क्योंकि इससे अन्य वितरकों में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है।
- 26) यह कि, द्वितीयपक्ष/वितरक को अपने आवंटित क्षेत्र में वर्तमान में दूध विक्रय कर रहे आऊटलेटों के अतिरिक्त प्रतिमाह न्यूनतम 05 नवीन विक्रय एजेंसियाँ प्रारंभ कर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मार्जिन एजेंसियों को देना होगा तथा दूध विक्रय में वृद्धि करना आवश्यक होगा तथा इसके अभाव में यह माना जावेगा कि वितरक द्वारा दूध विक्रय वृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं किये जा रहे है, को आधार मानकर वितरक की एजेन्सी समाप्त की जावेगी। जिस हेतु वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।
- 27) दुग्ध संघ से प्राप्त सामग्री का लेखा-जोखा हर तरह से द्वितीयपक्ष/वितरक द्वारा रखा जावेगा एवं मांग किन्ही भी करण से माँगे जाने पर मय डी.एम./गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा। दूध प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज आदि) संतुष्ट होकर प्राप्त करेंगे संयंत्र से माल प्रदायगी के पश्चात् द्वितीयपक्ष की कोई शिकायत मान्य नहीं की जावेगी।
- 28) यह कि, प्रथमपक्ष को यह अधिकार रहेगा कि द्वितीयपक्ष/वितरक द्वारा आवंटित क्षेत्र में संघ उत्पादों के विक्रय में किसी भी तरह से शिथिलता बरती जाती है, तो तत्काल प्रभाव से द्वितीयपक्ष को आवंटित एजेन्सी समाप्त की जावेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।
- 29) वितरक को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 30) वितरक को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक कार्य नहीं करना चाहता हैं, तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।

- 31) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।
- 32) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता के देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जब्त कर आवेदनकर्ता को ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- 33) आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस. टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो वितरक को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 33 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करता/करती हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

नाम : .....

हस्ताक्षर

❖ साँची दूध वितरक हेतु आवेदन प्रपत्र/आवेदन ❖

|                                    |
|------------------------------------|
| पासपोर्ट<br>साईज फोटो<br>चस्पा करे |
|------------------------------------|

1. आवेदक का नाम ■ \_\_\_\_\_
2. पिता/पति का नाम ■ \_\_\_\_\_
3. स्थाई पता ■ \_\_\_\_\_  
(प्रमाण सहित) ■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_
4. व्यवसाय का पता ■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_
- (अ) दूरभाष नं. ■ \_\_\_\_\_
- (ब) मोबाईल नं. ■ \_\_\_\_\_
5. शैक्षणिक योग्यता ■ \_\_\_\_\_
6. आवेदनकर्ता का वर्ग ■ \_\_\_\_\_  
(अजा, अजजा, पि. वर्ग, सामान्य) ■ \_\_\_\_\_
7. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर-शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_
8. वर्तमान व्यवसाय ■ \_\_\_\_\_

9. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें) ■ \_\_\_\_\_
10. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ■ \_\_\_\_\_
- (अ) चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा। \_\_\_\_\_
- (ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि। \_\_\_\_\_
11. वितरक हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ■ \_\_\_\_\_

दिनांक - .....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

### विपणन मार्ग की जानकारी

| क्रं. | विवरण                                           |   |                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | विपणन मार्ग का नाम                              | — | दुग्ध संयंत्र झाबुआ से कल्याणपुरा, रायपुरिया, पेटलावद, बामनिया, खवासा विपणन मार्ग |
| 2     | विपणन मार्ग की दूरी                             | — | 152 किलोमीटर (जाना-आना)                                                           |
| 3     | वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार/क्रेट क्षमता | — | 300 क्रेट क्षमता की तापरोधी वाहन (आईसर)                                           |
| 4     | कार्यक्षेत्र का विवरण                           | — | कल्याणपुरा, रायपुरिया, पेटलावद                                                    |
| 5     | वर्तमान में प्रतिदिन विक्रय दूध मात्रा          | — | 1500 लीटर                                                                         |
| 6     | प्रतिभूति राशि के विरुद्ध बैंक ग्यारंटी         | — | 0.00                                                                              |
| 7     | ई.एम.डी. राशि                                   | — | 1.00 लाख रुपये मात्र।                                                             |
| 8     | नकद प्रतिभूति राशि                              | — | 1.00 लाख रुपये मात्र।                                                             |

(रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं ..... पिता/पति श्री ..... स्थायी पता .....  
 ..... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर  
 कहता / कहती हूँ कि :-

1. “ यह कि मुझे/हमे किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो मैं/हम इस आवेदन हेतु अपात्र रहेंगे। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरा/हमारा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।”
2. यह कि मेरा/हमारा वर्तमान में किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं न ही किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरुद्ध कोई वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है/चल रहा है।

यह कि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित कार्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते हैं।

गवाह—

1) नाम— .....

पता—.....

आधार कार्ड नं.....

मो.नं. ....

2) नाम— .....

पता— .....

आधार कार्ड नं.....

मो.नं.....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम— .....

पता— .....

.....

मो.नं. — .....

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT  
MILK RATE

| S.NO | MILK TYPE                 | DISTRIBUTOR<br>RATE | DISTRIBUTOR<br>MARGIN | RETAILER<br>RATE | RETAILER<br>MARGIN | M.R.P  |
|------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------|
| 1    | SANCHI GOLD 5 LTR         | 361.80              | 4.20                  | 366.00           | 18.00              | 384.00 |
| 2    | SANCHI GOLD 1 LTR         | 59.30               | 0.70                  | 60.00            | 3.00               | 63.00  |
| 3    | SANCHI GOLD 500 ML        | 30.15               | 0.35                  | 30.50            | 1.50               | 32.00  |
| 4    | SANCHI GOLD 200 ML        | 13.26               | 0.14                  | 13.40            | 0.60               | 14.00  |
| 5    | SANCHI SHAKTI 500 ML      | 27.15               | 0.35                  | 27.50            | 1.50               | 29.00  |
| 6    | SANCHI CHAH 1 LTR         | 50.30               | 0.70                  | 51.00            | 3.00               | 54.00  |
| 7    | SANCHI SMART 500 ML       | 21.15               | 0.35                  | 21.50            | 1.50               | 23.00  |
| 8    | SANCHI SMART 160 ML       | 7.11                | 0.29                  | 7.40             | 2.60               | 10.00  |
| 9    | SANCHI CHAI SPECIAL 1 LTR | 46.30               | 0.70                  | 47.00            | 3.00               | 50.00  |
| 10   | SANCHI LITE 500 ML        | 18.15               | 0.35                  | 18.50            | 1.50               | 20.00  |
| 11   | SANCHI COW MILK 500 ML    | 25.15               | 0.35                  | 25.50            | 1.50               | 27.00  |
| 12   | SANCHI COW MILK 5 LTR     | 251.50              | 3.50                  | 255.00           | 15.00              | 270.00 |
| 13   | SANCHI CHAI SPECIAL 5 LTR | 231.50              | 3.50                  | 235.00           | 15.00              | 250.00 |

## अनुबंध ४

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इन्दौर, जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कु./मेसर्स ..... पता— ..... जिन्हें मिनि डेयरी संयंत्र ..... से संबद्ध ..... क्षेत्रों में साँची दूध विक्रय कार्य हेतु वितरक के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची दूध विक्रय कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :—

- 1) आवेदक को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के बैंक खाता क्रमांक 23478912139 IFSC Code No. IDFB0041269 आय.डी.एस.सी. फर्स्ट बैंक, शाखा—विजय नगर, इन्दौर में आर.टी.जी.एस के माध्यम से राशि **रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र)** अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 2) सफल आवेदनकर्ता की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे **रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र)** आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। दूध विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति **रुपये 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख मात्र)** होगी।
- 3) असफल आवेदनकर्ता की ई.एम.डी. राशि नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 4) **चयन प्रक्रिया :—** दूध वितरक कार्य हेतु किसी भी स्थान पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन सम्बन्धी दस्तावेजों का (आवश्यक अर्हताएँ) परीक्षणोपरान्त सफल पाये जाने पर कार्य आवंटित किया जाएगा तथा किसी भी स्थान में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक अर्हताओं के परीक्षण उपरान्त पात्र आवेदनकर्ताओं का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
- 5) वितरक के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :—
  - A) वितरक को मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध कल्याणपुरा, बामनिया, पेटलावद विपणन क्षेत्रों में संचालित साँची पार्लर एवं एजेंसियों की मांग की पूर्ति करना होगी।
  - B) वितरक को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें उसी दिन वाहन चालक को देना होगी। अन्यथा बकाया खाली क्रेटों की राशि का वर्तमान क्रेट क्रय भाव के आधार पर कटोत्रा किया जावेगा।
  - C) वितरक को साँची दूध की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई—मेल द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र को देना होगी। माँग अनुसार अग्रिम राशि भी दुग्ध संघ के खाते में एडवांस जमा कराना अनिवार्य होगा, **अन्यथा दूध प्रदाय नहीं किया जाएगा।**
  - D) वितरक द्वारा दूध विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दूध प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दूध प्रदाय बाधित होता है तो वितरक की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
  - E) वितरक को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट—पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

- F) सफल आवेदनकर्ता को स्वयं के क्षेत्रों में साँची दूध विक्रय हेतु रिटेलर नियुक्ति करने के लिए मिनि डेयरी संयंत्र, झाबुआ के माध्यम से महाप्रबंधक (विपणन) को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- G) वितरक को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित मार्जिन विक्रेताओं को देना होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर वितरक को मान्य करना होगा।
- 6) वितरक अपकन्द्री क्षेत्रों में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना अनिवार्य होगी।
- 7) वितरक को दूध प्राप्त करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी वितरक की रहेगी।
- 8) वितरक को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध विक्रय हेतु कल्याणपुरा, बामनिया, पेटलावद विपणन क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 9) वितरक को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक दूध का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
- 10) वितरक द्वारा प्रतिदिन मांग अनुसार दूध मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में राशि ऑनलाईन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दूध प्रदाय नहीं किया जायेगा।
- 11) आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 12) वितरक को प्रत्येक पार्लर/एजेंसियों पर जाकर दूध उपलब्ध करना होगा।
- 13) वितरक को प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से साँची दूध की मांग प्रस्तुत करना होगा।
- 14) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 15) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- 16) प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। दुग्ध संयंत्र डाक से दूध की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए दूध की मूल्य राशि का 100 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- 17) यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
- 18) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध कल्याणपुरा, बामनिया, पेटलावद विपणन क्षेत्रों में संचालित समस्त साँची पार्लर/एजेंसियों के लिये दूध विक्रय के लक्ष्य वार्षिक योजना एवं त्यौहारों के आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीयपक्ष को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उतरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथमपक्ष द्वारा की जाएगी,

- जिस हेतु द्वितीयपक्ष जवाबदेह होगा। प्रतिवर्ष दुग्ध विक्रय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
- 19) आवेदनकर्ता की ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
  - 20) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता **(Arbitrator)** के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु **(Arbitrator)** प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
  - 21) आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात आवेदनकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो 01 माह पूर्व नोटिस देकर वितरक कार्य से पृथक किया जावेगा।
  - 22) यह कि द्वितीयपक्ष/वितरक द्वारा प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ के पास वितरकशीप कार्य प्रारंभ करने के समय एवं कार्य अवधि के मध्य जो नगद प्रतिभूति राशि एवं बैंक ग्यारंटियाँ जमा कराई गई है, में वित्तीय व्यवहार (दूध में वृद्धि, विक्रय मात्रा में वृद्धि, नवीन क्षेत्र जोड़े जाने की स्थिति में वृद्धि आदि) अनुसार यदि दुग्ध संघ यह महसूस करें कि तत्काल समय में प्रतिभूति राशि में वृद्धि करना आवश्यक है, तो द्वितीयपक्ष/वितरक को प्रतिभूति राशि/अथवा बैंक ग्यारंटी के रूप में वृद्धि करना आवश्यक होगा।
  - 23) यह कि दुग्ध संघ के संशोधित व्यापार नीति अनुसार क्षेत्र में दैनिक विक्रय हो रही दूध की राशि के बराबर न्यूनतम 03 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप सदैव प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ के कार्यालय में जमा रहेगी। जिसमें वृद्धि करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ को रहेगा।
  - 24) यह कि प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वितरक को प्रतिदिन उनकी मांग अनुसार दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय करेगा, जिसे द्वितीयपक्ष/वितरक द्वारा केवल आवंटित क्षेत्र में ही विक्रय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। आवंटित क्षेत्र के बाहर अन्य वितरक के क्षेत्र में प्रदाय/विक्रय करने पर तत्काल प्रभाव से वितरकशीप समाप्त कर दी जावेगी। क्योंकि इससे अन्य वितरकों में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है।
  - 25) यह कि, द्वितीयपक्ष/वितरक को अपने आवंटित क्षेत्र में वर्तमान में दूध विक्रय कर रहे आऊटलेटों के अतिरिक्त प्रतिमाह न्यूनतम 05 नवीन विक्रय एजेंसियाँ प्रारंभ कर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मार्जिन एजेंसियों को देना होगा तथा दूध विक्रय में वृद्धि करना आवश्यक होगा तथा इसके अभाव में यह माना जावेगा कि वितरक द्वारा दूध विक्रय वृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं किये जा रहे है, को आधार मानकर वितरक की एजेन्सी समाप्त की जावेगी। जिस हेतु वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।
  - 26) दुग्ध संघ से प्राप्त सामग्री का लेखा-जोखा हर तरह से द्वितीयपक्ष/वितरक द्वारा रखा जावेगा एवं मांग किन्ही भी करण से माँगे जाने पर मय डी.एम./गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा। दूध प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज आदि) संतुष्ट होकर प्राप्त करेंगे संयंत्र से माल प्रदायगी के पश्चात् द्वितीयपक्ष की कोई शिकायत मान्य नहीं की जावेगी।
  - 27) यह कि, प्रथमपक्ष को यह अधिकार रहेगा कि द्वितीयपक्ष/वितरक द्वारा आवंटित क्षेत्र में संघ उत्पादों के विक्रय में किसी भी तरह से शिथिलता बरती जाती है, तो तत्काल प्रभाव से द्वितीयपक्ष को आवंटित एजेन्सी समाप्त की जावेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।
  - 28) वितरक को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

- 29) वितरक को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक कार्य नहीं करना चाहता है, तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
- 30) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।
- 31) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता के देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जब्त कर आवेदनकर्ता को ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- 32) आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस. टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो वितरक को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश-हवास में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

मैं ..... पिता/पति/पत्नी.....साँची दूध वितरक  
.....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती..... को घोषित करता/  
करती हूँ।

हस्ताक्षर (प्रथमपक्ष)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर (द्वितीयपक्ष)  
.....

गवाह :

नाम .....

पता .....

आधारकार्ड नम्बर .....

मोबाईल नम्बर .....

नाम .....

पता .....

आधारकार्ड नम्बर .....

मोबाईल नम्बर .....

## :: जमानतनामा ::

मैं जमानतदार सर्व ..... आत्मज श्री .....  
..... आयु ..... में है कि, कार्यालय ..... प्रथम  
पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री ..... आयु ..... निवासी .....  
..... के बीच आज दिनांक .....को वितरक हेतु  
अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके  
लिये **रुपये 5,00,000/- (अक्षरी रुपये पाँच लाख मात्र)** तक के नुकसान की जवाबदारी  
हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं  
प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा/करूँगी अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल  
करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की  
पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक ..... को लिख दिया है।

### **गवाह :**

हस्ताक्षर .....  
नाम .....  
पता .....  
मोबाईल नम्बर .....

### **जमानतदार**

हस्ताक्षर .....  
नाम .....  
पता .....  
मोबाईल नम्बर .....

## :: शपथ पत्र ::

मैं ..... आत्मज श्री .....

आयु ..... निवासी — .....

शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि :-

1. मैंने आज दिनांक ..... को यह अनुबंध करार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित इन्दौर से दूध वितरक के माध्यम से किया है जिसकी समस्त सेवा शर्तें मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र में प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता.....

## :: सत्यापन ::

मैं ..... सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक ..... को ..... में किया गया।

शपथग्रहिता.....